राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांकः एफ.8(1) आ.प्र.एवं सहा/आ.प्र./2020/4714 जयपुर,दिनांक 16/4/2020

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :– कोरोना वाईरस के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जिला कार्यालयों में नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांक 3844–83 दिनांक 23.03.2020 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत गृह मंत्रालय, (आपदा प्रबन्धन अनुभाग), भारत सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक 33–4/2020–एनडीएम–I दिनांक 14.03.2020 द्वारा COVID-19 Virus फैलने के मद्देनजर राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के बिन्दु संख्या 01 के (c) Support for checking, screening and contact tracing के प्रावधान के तहत राज्य में कोरोना वाईरस के बढ़ते प्रकोप के मध्यनजर बिन्दु संख्या 01 (c) के लिए जहां भी मेडिकल या पेरामेडिकल स्टाफ की कमी हो उन सम्भागीय स्तर जिले (भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, एवं उदयपुर) एवं टोंक व बांसवाड़ा में 20–20 स्वंयसेवक, जयपुर जिले में 30 स्वंयसेवक, जोधपुर एवं कोटा जिले में 25–25 स्वंयसेवक एवं शेष जिलों में 10–10 प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को लॉक डाउन अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो तक नियोजित करने हेतु जिला कलक्टरों को अधिकृत किया जाता है।

जिला कलक्टर्स द्वारा इन स्वयंसेवकों को तैनात किये जाने वाली अवधि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुसार "आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के लेखा मद 2245–02–282–(07)–[01] –22 सामग्री प्रदाय" से किया जायेगा।

भवदीय

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :– आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, राजस्थान।
3. उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा, राज0 जयपुर।
4. समस्त उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय का पता– खाद्य भवन, भू–तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर–302005, दूरभाष नं. 0141–2227084 फैक्स नं. 0141–2227230 ई–मेल आई.डी. relief-rj@nic.in
D:\Flood\Flood 2019\Flood 2019 (1).docx